प्राक्कथन

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा अगस्त 2003 में, तृतीयक देखभाल अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालयों की उपलब्धता में असंतुलन को सुधारने के उद्देश्य से सुपर स्पेशियेलिटी सेवाएं प्रदान करने और भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए की गई थी। इस योजना के उद्देश्यों को किस सीमा तक हासिल किया गया है और क्या उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आर्थिक, कुशल और प्रभावी तरीके से किया गया है, इसका आकलन करने के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा 2003 से 2017 की अवधि के लिए की गई है और इस योजना के विभिन्न पहलुओं जैसे योजना, वित्तीय प्रबंधन, भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, उपकरणों की उपलब्धता और जनशक्ति की तैनाती की जांच की गई है। यह कार्यक्रम वितरण में सुधार लाने के तरीकों का भी सुझाव देती है।

यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।